29/5/26 पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई।
प्रार्थना - पत्र के संबंध में संक्षिप्त तथ्य
इस प्रकार है कि एक प्रार्थना - पत्र अन्तर्गत
धारा - 126 UR Act के तहत पेश कर
निवेदन किया किया कि ग्राम खोहरी
प० म० कैलादेवी के आ. ख. न. 947/1032,
871 - 873, 875 - 876 मे प्रार्थी का
नाम रूपनारायण दर्ज रिकॉर्ड है। जो

[illegible]

तारीख हुक्म	रूपी vs रामलाल व अन्य हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में जारी
	गलत है जबकि प्रार्थी का सही नाम रूपी माली है, जिसे दुरुस्त किया जावे। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1-3, 5-6 ने जवाब पेशकर प्रार्थना-पत्र को स्वीकार करने बाबत अपनी सहमति व्यक्त की। अप्रार्थी सं. 4 के विरुद्ध प्रार्थी ने कोई नहीं चाहने बाबत ऑर्डर शीट पर नोट अंकित किया। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। बहस पश्चात प्रार्थना-पत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं। अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर TOR करौली को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम खोहरी के आराजी ख.न. 947/1032, 871-873, 875-876 में प्रार्थी का नाम रूपनारायण के स्थान पर रूपी पुत्र भौरया जाति माली दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। [signature]	